

FORM No.III
(फर्दअहकाम नियम 26)

APP Crll

म कलेक्टर मुकाम बसवा
नाम लालचंद बनारस सरकार
दमा 128 एल.आर. (पत्थरगढी) नं. 99 सन 2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज हुक्म की तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24.06.2024

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री लालचंद पुत्र रामलाल जाति भीना निवासी जयसिंहपुरा तहसील बसवा वगैरह जरिये एड. श्री मनोज मिश्रा विरुद्ध अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा, तहसील बसवा जिला दौसा के अंतर्गत धारा 128 एल.आर. एकट वास्ते स्थायी सीमा चिह्न के लिए पत्थरगढी करवाये जाने बाबत पेश किया है। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर, अप्रार्थी को नोटिस जरिये सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.06.2024 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

26/6/24 पत्रावली केतु ही अप्रार्थी गण को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त पत्रावली वास्ते अवलोकन व इतिहास कार्यवाही हेतु इजाजती तारीख 2-7-24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

27/7/24

पत्रावली पेश हुई। बकालों द्वारा कार्य निष्पन्न/P.O. स० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई मृत आदेश की पालना में दिनांक 09/07/24 (09/07/2024) को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

9/7/24

पत्रावली केतु ही पत्रावली वास्ते अवलोकन व वदत हेतु इजाजती तारीख 16-7-24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

16/7/24

पत्रावली केतु ही वास्ते वदत हेतु 18-7-24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

18/7/24

पत्रावली केतु ही पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु वाद वदत सुनी गई, निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शासिक सिफल हो, पत्रावली केतु ही अगल होकर अतिरिक्त अगल हो

उपखण्ड अधिकारी



न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला-दौसा

प्रकरण संख्या विविध 22/2024

प्रकरण रज्जु दिनांक : 24.6.2024

निर्णय दिनांक 18.7.2024

प्रकरण :- वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. लालचंद पुत्र रामपाल
2. लक्ष्मीदेवी पत्नी रामलाल
3. महादेवा पुत्र मांग्या
4. भौरीदेवी पत्नी भगवानसहाय
5. बलवीर पुत्र भगवानसहाय
6. सुवालाल पुत्र भगवानसहाय
7. पार्वती पत्नी हरिकिशन
8. महेन्द्र पुत्र हरिकिशन
9. राजकुमार पुत्र हरिकिशन
10. विश्राम पुत्र लल्लूराम



समस्त जाति गीना निवासी जयसिंहपुरा तहसील बसवा जिला-दौसा
(प्रार्थीगण)

बनाम


राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला-दौसा
(अप्रार्थीगण)

:- निर्णय :-

दिनांक :- 18.07.2024

उपरिथति :-1. प्रार्थीगण की ओर से एडवाकेट
श्री मनोज मिश्रा

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थीगण की भूमि काश्त वाके मौजा घाटीदीपपुरा पटवार हलका झाड़ीरामपुरा तहसील बसवा के नये खाता संख्या 42 पुराने 34 खसरा नंबर 10 रकबा 0.03 हैक्टयर, 11 रकबा 0.04 हैक्टयर, 113 पीडली वाला रकबा 0.60 हैक्टयर, 114 रकबा 0.08 हैक्टयर, 12 रकबा 0.03 हैक्टयर, 12/268 रकबा 0.09 हैक्टयर, 13 रकबा 0.22 हैक्टयर, 14 रकबा 0.04 हैक्टयर, 153 रकबा 0.02 हैक्टयर, 213 रकबा 0.70 हैक्टयर, 221 रकबा 0.15 हैक्टयर, 222 रकबा 0.30 हैक्टयर, 232 रकबा 0.40 हैक्टयर, 307/24 रकबा 0.20 हैक्टयर, 308/9 रकबा 0.13 हैक्टयर, 310/154 रकबा 0.06 हैक्टयर, 311/184 रकबा 0.47 हैक्टयर, 312/227 रकबा 0.11 हैक्टयर, 313/210 रकबा 0.10 हैक्टयर, 314/220 रकबा 0.11 हैक्टयर, 315/223 रकबा 0.03 हैक्टयर, 325/253 रकबा 0.34 हैक्टयर, 326/255 रकबा 0.80 हैक्टयर, 327/256 रकबा 0.17 हैक्टयर, 328/258 रकबा 0.46 हैक्टयर, 335/265 रकबा 3.32 हैक्टयर, 359/85 रकबा 0.15 हैक्टयर, 360/210 रकबा 0.12 हैक्टयर, 8 रकबा 0.05 हैक्टयर, 87 रकबा 0.11 हैक्टयर, 88 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल कित्ता 31 कुल रकबा 9.44 हैक्टयर भूमि में बतौर खातेदार प्रार्थीगण अंकित


उपखण्ड अधिकारी
(दौसा)

हैं । प्रार्थीगणों द्वारा स्थाई सीमा चिन्हों के लिये एवं पडौसी काश्तकारों से विवाद नहीं हो इस हेतु दिनांक 18.6.2023 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है । भविष्य में पडौसी काश्तकारों से कोई विवाद नहीं होने इस लिये दिनांक 18.6.2023 को हुए सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया जावे । अतः इस हेतु मौजा घाटीदीपपुरा पटवार हलका झाड़ीरामपुरा तहसील बसवा के नये खाता संख्या 42 पुराने 34 खसरा नंबर 10 रकबा 0.03 हैक्टर, 11 रकबा 0.04 हैक्टर, 113 पीडली वाला रकबा 0.60 हैक्टर, 114 रकबा 0.08 हैक्टर, 12 रकबा 0.03 हैक्टर, 12/268 रकबा 0.09 हैक्टर, 13 रकबा 0.22 हैक्टर, 14 रकबा 0.04 हैक्टर, 153 रकबा 0.02 हैक्टर, 213 रकबा 0.70 हैक्टर, 221 रकबा 0.15 हैक्टर, 222 रकबा 0.30 हैक्टर, 232 रकबा 0.40 हैक्टर, 307/24 रकबा 0.20 हैक्टर, 308/9 रकबा 0.13 हैक्टर, 310/154 रकबा 0.06 हैक्टर, 311/184 रकबा 0.47 हैक्टर, 312/227 रकबा 0.11 हैक्टर, 313/210 रकबा 0.10 हैक्टर, 314/220 रकबा 0.11 हैक्टर, 315/223 रकबा 0.03 हैक्टर, 325/253 रकबा 0.34 हैक्टर, 326/255 रकबा 0.80 हैक्टर, 327/256 रकबा 0.17 हैक्टर, 328/258 रकबा 0.46 हैक्टर, 335/265 रकबा 3.32 हैक्टर, 359/85 रकबा 0.15 हैक्टर, 360/210 रकबा 0.12 हैक्टर, 8 रकबा 0.05 हैक्टर, 87 रकबा 0.11 हैक्टर, 88 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 31 कुल रकबा 9.44 हैक्टर भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 18.6.2023 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें ।

प्रा.पत्र वास्ते पत्थरगढी प्राप्त होने पर, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के साथ सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 18.6.2023 का अवलोकन किया । इस सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि आज दिनांक 18.6.2023 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय बसवा के आदेश क्रमांक भूअ. /2023/1996 दिनांक 1.6.2023 की पालना में खसरा नंबर 10, 11, 113, 114, 12, 12/268, 13, 14, 153, 213, 221, 222, 232, 307/24, 308/9, 310/154, 311/184, 312/227, 313/210, 314/220, 315/223, 325/253, 326/255, 327/256, 328/256, 335/265, 359/80, 360/210, 8, 87, 88 का सीमाज्ञान मुस्तकिल बिन्दु खसरा नंबर 81 गै.मु.चाह, खसरा नंबर 46 गै.मु.चाह कायम संख्या 22 तथा खसरा नंबर 192 गै.मु.चाह व कायम संख्या 23 भी मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान करवाया गया उक्त में सीमाज्ञान करवाया गया मौका पर्चा पढकर सुनाया गया । प्रार्थी ने हस्ताक्षरकर्ता करने से मना किया ।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी । बहस उपरांत यह सुस्पष्ट हुआ कि उक्त खसरा नंबरों पर सीमाज्ञान हो चुका है एवं पत्थरगढी करने में कोई तकनीकी रुकावट प्रतीति नहीं होती है । लिहाज उचित पाते हैं कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 18.6.2023 के अनुसार ग्राम कौलाना का खाता संख्या नया 247 पुराना 72 के खसरा नंबर 1306/533 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 0.19 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी की जावे । इस हेतु तहसीलदार बसवा से प्राप्त पत्र भी इस भूमि की पत्थरगढी की अनुशंषा करता है ।

निर्णय

अतः आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.6.2023 मौजा घाटीदीपपुरा पटवार हलका झाड़ीरामपुरा तहसील बसवा के नये खाता संख्या 42 पुराने 34 खसरा नंबर 10 रकबा 0.03 हैक्टर, 11 रकबा 0.04 हैक्टर, 113 पीडली वाला रकबा 0.60 हैक्टर, 114 रकबा 0.08 हैक्टर, 12 रकबा 0.03 हैक्टर, 12/268 रकबा 0.09 हैक्टर, 13 रकबा 0.22 हैक्टर, 14 रकबा 0.04 हैक्टर, 153 रकबा 0.02

हैक्टर, 213 रकबा 0.70 हैक्टर, 221 रकबा 0.15 हैक्टर, 222 रकबा 0.30 हैक्टर, 232 रकबा 0.40 हैक्टर, 307/24 रकबा 0.20 हैक्टर, 308/9 रकबा 0.13 हैक्टर, 310/154 रकबा 0.06 हैक्टर, 311/184 रकबा 0.47 हैक्टर, 312/227 रकबा 0.11 हैक्टर, 313/210 रकबा 0.10 हैक्टर, 314/220 रकबा 0.11 हैक्टर, 315/223 रकबा 0.03 हैक्टर, 325/253 रकबा 0.34 हैक्टर, 326/255 रकबा 0.80 हैक्टर, 327/256 रकबा 0.17 हैक्टर, 328/258 रकबा 0.46 हैक्टर, 335/265 रकबा 3.32 हैक्टर, 359/85 रकबा 0.15 हैक्टर, 360/210 रकबा 0.12 हैक्टर, 8 रकबा 0.05 हैक्टर, 87 रकबा 0.11 हैक्टर, 88 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 31 कुल रकबा 9.44 हैक्टर भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवावें, एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दाखिल दफ़्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ़्तर हो ।



(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी बरसिया
जिला नदौदा